

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा/माध्य/मा-स/22473/मिड डे मील/2018/14

दिनांक :- 04/06/2018

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक- प्रथम/द्वितीय

विषय :- मिड डे मील योजनान्तर्गत राज्य में 'अन्नपूर्णा दूध योजना' लागू किए जाने से पूर्व की तैयारियों एवं योजना के शुभारम्भ के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश।

प्रसंग :- आयुक्तालय, मिड डे मील योजना, जयपुर का पत्रांक एफ 5(7) प्रा. शि./एमडीएम/आरसीडीएफ/2017-18/177 जयपुर, दिनांक 23.05.2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि मनीषा मुख्यमंत्री महोदय ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट अभिभाषण में मिड डे मील योजनान्तर्गत समस्त राजकीय प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को सप्ताह में तीन बार दूध पोषाहार उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। इस बजट घोषणा के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में इन दिशा निर्देशों के अनुसार दिनांक 02.07.2018 से योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।

'अन्नपूर्णा दूध योजना' को लागू किए जाने से पूर्व विभिन्न स्तरों पर की जाने वाली तैयारियों (Preparations) एवं योजना के शुभारम्भ (Launching) के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश निम्न प्रकार है :-

1. "अन्नपूर्णा दूध योजना" को लागू किए जाने से पूर्व की तैयारियों (Preparations) के लिए दिशा निर्देश।

1.1 जिला स्तर

- I. जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समीक्षा एवं संचालन समिति (डीएसएमसी) की बैठक का आयोजन कर योजना की जानकारी एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जावें।
- II. मिड डे मील योजनान्तर्गत जिन जिलों में केन्द्रीयकृत रसोईघर के माध्यम से पोषाहार वितरित किया जा रहा है सम्बन्धित NGO/CSO प्रबन्धकों को DSMC की बैठक में आमंत्रित किया जाकर योजना की जानकारी एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिये जावें।
- III. राज्य स्तर से आवर्ती मद में राशि प्राप्त होते ही SMC/NGO/CSO/AMSS के खातों में हस्तान्तरण की जावे।
- IV. राज्य स्तर से प्राप्त अनावर्ती मद में बर्तन क्रय हेतु प्राप्त राशि का SMC के खातों में तत्काल हस्तान्तरित की जावे।

1.2 ब्लॉक स्तर

- I. उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित ब्लॉक स्तरीय समीक्षा एवं संचालन समिति (बीएसएमसी) की बैठक आयोजित करवाकर योजना से संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दुओं से अवगत करवाकर दिशा निर्देश दिए जावें।
- II. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने ब्लॉक के अधीन विद्यालयों के प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों की बैठक आयोजित कर योजना की जानकारी से अवगत करवाते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जावें।

1.3 ग्राम पंचायत स्तर

- I. ग्राम पंचायत स्तर पर स्थित पंजीकृत दुग्ध सहकारी समिति/अन्य स्रोत से सम्पर्क कर निर्धारित दिवसों पर आवश्यकता के अनुसार दूध की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जावे।
- II. पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों की बैठक आयोजित कर योजना की जानकारी देते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए जावे।

1.4 विद्यालय स्तर

- I. विद्यालय प्रबन्धन समिति की बैठक आयोजित करवाकर योजना के महत्वपूर्ण बिन्दुओं के सम्बन्ध में जानकारी दी जावे एवं आवश्यक सावधानियों से अवगत करावें।
- II. योजना के क्रियान्वयन हेतु बर्तन इत्यादि की व्यवस्था की जावें।
- III. ग्राम पंचायत स्तर पर स्थित पंजीकृत दुग्ध सहकारी समिति/अन्य स्रोत से सम्पर्क कर निर्धारित दिवसों पर आवश्यकता के अनुसार दूध की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे।

2. अन्नपूर्णा दूध योजना के शुभारम्भ (Launching) के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश

2.1 जिला स्तर :- जिला मुख्यालय पर स्थित किसी बड़े राउमावि में कार्यक्रम आयोजित करवाते हुए प्रभारी मंत्री, स्थानाय जन प्रतिनिधि गण, प्रभारी सचिव, संभागीय आयुक्त, दानदाताओं, भामाशाहों एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में दिनांक 02.07.2018 को योजना का शुभारम्भ किया जावे।

2.2 ब्लॉक स्तर :- प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पर स्थित किसी बड़े राउमावि में कार्यक्रम आयोजित करवाते हुए स्थानीय विधायक, उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी, प्रधान, पंचायत समिति, दानदाताओं, भामाशाहों एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में दिनांक 02.07.2018 को योजना का शुभारम्भ किया जावे।


2.3 पंचायत स्तर व विद्यालय स्तर

- I. ग्राम पंचायत स्तर स्थित किसी बड़े राउमावि में कार्यक्रम आयोजित करवाते हुए सरपंच, स्थानीय जनप्रतिनिधि गण, दानदाताओं, भामाशाहों एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में दिनांक 02.07.2018 को योजना का शुभारम्भ किया जावे।
- II. योजना के शुभारम्भ के दिन 02 जुलाई, 2018 को प्रत्येक विद्यालय में विशेष पेरेन्ट टीचर मीटिंग (PTM) का आयोजन किया जावे।
- III. दिनांक 02 जुलाई, 2018 से 09 जुलाई, 2018 तक प्रत्येक विद्यालय में " अन्नपूर्णा दूध योजना सप्ताह" का आयोजन किया जावे।

3. योजना का प्रचार-प्रसार

- 3.1 सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं स्थानीय समाचार पत्रों द्वारा "अन्नपूर्णा दूध योजना" का वृहत स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जावे।
- 3.2 विभिन्न IEC गतिविधियों यथा-होर्डिंग्स, बैनर्स, पम्पलेट्स, नुक्कड़ नाटक, सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से भी योजना का प्रचार प्रसार किया जावे।

अन्नपूर्णा दूध योजना के सम्बन्ध में उक्त दिशा-निर्देशों का पालना सुनिश्चित करने के लिए आप अपने अधिनस्थ संस्था प्रधानों को निर्देशित करें।



(नथमल डिडेल)

आई.एस.


माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर।
02. विशिष्ट सहायक, शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान जयपुर।
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
04. उपायुक्त, आयुक्तालय, मिड डे मील योजना, नवजीवन कॉम्प्लेक्स, भवानी सिंह मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर - 302001
05. समस्त मण्डल उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को आवश्यक पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन हेतु।
06. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं समस्त संस्था प्रधानों के ई-मेल पते पर भेजवाने हेतु।
07. रक्षित पत्रावली।

www.rajteachers.com


उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर